



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06102026-276870
CG-MH-E-06102026-276870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5234]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2026/आश्विन 13, 1948

No. 5234]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2026/ASVINA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 01 अक्टूबर, 2026

(पहले से प्रकाशित ई-राजपत्र अधिसूचना संख्या 268644 में आवश्यक पूरक परिशिष्ट)

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 20A के तहत

का.आ. 5444(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 18 दिसंबर 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 5878 (अ) तारीख 16 दिसंबर 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य के बैतूल जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या) प्रस्तावना निर्माण" परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल, तहसील बैतूल, जिला बैतूल को लिखित रूप में किया और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 D की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्:

"नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या) प्रस्तावना निर्माण", मध्य प्रदेश राज्य में परियोजना।

समपार फाटक संख्या 259 (इटारसी- आंवला खंड के बीच)

ज़िला- बैतूल								
क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे / गैट संख्या	भूमि क्षेत्र (हे.आर.)	कुल क्षेत्रफल सर्वे / गैट संख्या 7/12 के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)
1		भैंसदेही	बैतूल	अंजलि, पति- मनोज जाति रघुवंशी	91/4/2 भाग		0.0460	0.0065
2				लल्लूसिंह पिता पन्ना लाल, जाति रघुवंशी	97 भाग		0.2590	0.0059
3				कपिल पिता जगदीश	98/1 भाग		1.2140	0.1023
4				गुलाबसिंह पिता शंकरसिंह जाति रघुवंशी	98/2 भाग		0.2020	0.0314
5				दमयंती पति कल्लूसिंह, मालती पति लाल्लूसिंह	140/1 भाग		0.3330	0.0340
6				पशुपतिनाथ पिता मानिकराव, जाति: कुनबी	142/1/1 Part		1.7600	0.1131
7				पशुपतिनाथ पिता मानिकराव, जाति: कुनबी	142/1/2 Part		0.2020	0.0172
				कुल			4.0160 (हे.आर.)	0.3104 (हे.आर.)

ज़िला- बैतुल									
क्रम संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे / गैट संख्या	भूमि धारण दिधि	कुल क्षेत्रफल सर्वे / गैट संख्या 7/12 के अनुसार (हे.आर.)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे.आर.)	
1		केलापुर	बैतुल	रामाधार पिता मिसरू, जाति कुनबी; श्यामधर पिता मिसरू, जाति कुनबी,	88/2 भाग		0.2150	0.0070	
2				रतन, पिता छोटेलाल; जाति: कुनबी	93/2 भाग		0.6070	0.0067	
				कुल				0.8220 (हे.आर.)	0.0137 (हे.आर.)
कुल योग						4.8380 (हे.आर.)	0.3241 (हे.आर.)		

[फा.सं. G197/NGP/RSP/LC 259/Bhainsdehi & Kelapur/20A/Addendum]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2026

(Addendum required in already published E-Gazette Notification No. 268644)

Under clause 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5444(E).— Whereas, by notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, **S.O 5878 (E) Dated 16th December 2025** published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3 Sub - section (ii) dated 18th December 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (herein after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, “**Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur – Itarsi and Nagpur – Ballarshah section of Nagpur Division**” hereby declares its intention to acquired such land in the **District of Betul** in the State of Madhya Pradesh.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub – Divisional officer (Revenue) Betul, Tehsil Betul, District Betul** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
“Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur – Itarsi and Nagpur – Ballarshah section of Nagpur Division”, Project in the state of Madhya Pradesh.

. LEVEL CROSSING GATE NO. 259 (BETWEEN ITARSI-AMLA SECTION)

District: Betul								
Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Taluka	Land Owners Name according to Survey / Gut No Extracts	Khasara No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 in (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1		Bhensdehi	Betul	Anjali w/o Manoj Raghuvanshi, Cast Raghuvanshi	91/4/2 Part		0.0460	0.0065
2				Lallusingh s/o Pannalal Raghuvanshi,	97 Part		0.2590	0.0059
3				Kapil s/o Dattak Jagdish	98/1 Part		1.2140	0.1023
4				Gulabsingh s/o Shankarsingh Cast Raghuvanshi	98/2 Part		0.2020	0.0314
5				Damyanti w/o Kallusingh, Malti w/o Lallusingh,	140/1 Part		0.3330	0.0340
6				Pashupatinath s/o Manikrao, Cast Kumbi	142/1/1 Part		1.7600	0.1131
7				Pashupatinath Son of Manikrao Cast Kumbi	142/1/2 Part		0.2020	0.0172
						Total		
1		Kelapur	Betul	Ramadhar s/o Misru, Caste Kunbi; Shyamdhar s/o Misru, Caste Kunbi,	88/2 Part		0.2150	0.0070
2				Ratan, s/o Chhotelal, Caste Kunbi	93/2 Part		0.6070	0.0067
					Total			0.8220 (Ha.)
Grand Total							4.8380 (Ha.)	0.3241 (Ha.)

[F. No. G197/NGP/RSP/LC 259/Bhainsdehi & Kelapur/20A/Addendum]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)